

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

जसव प्रकरण संख्या (पुराना) 15/2009
जसव प्रकरण संख्या (नया) 261/2010

दायर तारीख (पुराना) 15.01.2009
दायर तारीख (नया) 29.04.2010

अनवान

1. माधु पुत्र मोडा जाति भील उम्र वयस्क निवासी दानपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (मृतक)
- 1.1 मंजु पत्नि माधु जाति भील उम्र वयस्क निवासी दानपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
- 1.2 ममती पुत्री माधु जाति भील उम्र नाबालिक माफत माता मंजु पत्नि माधु निवासी दानपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
- 1.3 अर्जुन पुत्र माधु जाति भील उम्र नाबालिक माफत माता मंजु पत्नि माधु निवासी दानपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
- 02 सावरा पुत्र मोडा जाति भील उम्र वयस्क निवासी दानपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
- 03 मडलिया उर्फ मनसा पुत्र मोडा जाति भील उम्र वयस्क निवासी दानपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
- 04 दाखी पत्नि मोडा जाति भील उम्र वयस्क निवासी दानपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

.....डिक्रीदार

बनाम

01. देउ पुत्री मोडा जाति भील उम्र वयस्क निवासी पिपलदा तहसील बून्दी जिला बून्दी
02. गीता पत्नि छीतरलाल जाति मीणा उम्र वयस्क राणाजी का गुढा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
03. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)।

..... मदयूनान

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 22/08/2024

डिक्री दिनांक : 22/08/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया बहाजरी वादीगण अधिवक्ता श्री गिरधारीलाल आचार्य व प्रतिवादीगण एकपक्षीय हुकम दिया जाता है। कि वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत डिक्री जाकर मोजा दानपुरा प0ह0 रेसून्दा स्थित आराजी खसरा नम्बर 286/263 किता 1 रकबा 0.4856 हैक्टेयर का वादीगण मृतक वादी माधू के वारिसान मन्जु पत्नी माधू ममती पुत्री माधु अर्जुन पिता माधु सांवरा पिता मोडा मडलिया पुत्र मोडा दाखी पत्नि मोडा भील निवासी दानपुरा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है खातेदार गीता देवी पत्नि छीतर लाल मीणा निवासी गुढा का जमाबन्दी से नाम हटाया जाकर एवं बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कास्या के रहन का इन्द्राज हटाया जाकर आदेशानुसार मन्जु पत्नि माधू ममती पुत्री माधू अर्जुन पिता माधू सांवरा पुत्र मोडा मडलिया पुत्र मोडा, दाखी विधवा मोडा भील निवासी दानपुरा के नाम बहैसीयत खातेदार दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे न वादीगण का कब्जा हटावे। पक्षकार खर्चा अपना अपना वहन करें। डिक्री मुर्तिब हों।

नीज Nil मुबलिंग Nil बाबत्

Nil खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर Nil फीस दी सालाना आज की

तारीख से तारीख वसूलयाबी तक Nil का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख माह वर्ष 2024 को जारी किया गया।



(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

मुद्र	रुपया	पैसे	मुद्रापत्रा	रुपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	-		स्टाम्प अरजीदया	-	
स्टाम्प वकीलात नामा	-		स्टाम्प वकीलात नामा	-	
स्टाम्प वजह सबूत	-	५	स्टाम्प वजह सबूत	-	
महानताना वकील ()	-		महानताना वकील ()	-	
खर्चा गावाह	-		खर्चा गावाह	-	
फीस कमीशनर	-		फीस कमीशनर	-	
बाबत इजराय हुक्मनामा	-		बाबत इजराय हुक्मनामा	-	
मुनफारिक	-		मुनफारिक	-	
मीजान			मीजान		




 (अजीत सिंह राठौड़)
 उपखण्ड अधिकारी
 बिजाँलियां